लक्ष्य-

- ८० प्रतिशत साक्षरता दर प्राप्त करना।
- जेण्डर गैप के वर्तमान अन्तर (२६.६० प्रतिशत) को १० प्रतिशत तक लाना।
- सामाजिक, क्षेत्रीय, जेण्डर, भेदभाव में कमी लाना।

भौतिक लक्ष्य-

- १५+ आयु वर्ग के कुल का लगभग ४० प्रतिशत (Operation Level) १८२ लाख निरक्षरों को कार्यात्मक साक्षरता प्रदान करना, जिसमें लगभग ६० प्रतिशत (१५६ लाख) महिलाएं एवं १० प्रतिशत (लगभग २६ लाख) पुरुषों को सम्मिलित किया गया है।
- प्रदेश के ६६ जनपदों की ५०३६० ग्राम सभाओं में लोक शिक्षा केन्द्र की स्थापना।
- लगभग ३.६४ लाख लोगों को समतुल्यता कार्यक्रम (Equivalency Programme) के अन्तर्गत लाना, जिसमें ओपेन स्कूल के साथ कार्यक्रम का समन्वय करना।
- लगभग ३.६४ लाख व्यक्तियों को व्यवसायिक शिक्षा प्रदान करना।

फोकस ग्रुप- ग्रामीण क्षेत्रों के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक समुदाय एवं अन्य अपवंचित समूह।

योजना की अवधि-

- १.१०.२००६ से ३१.३.२०१२ तक।
- बेसिक लिटरेसी हेतु १८ माह की अवधि निर्धारित।

वित्तीय लक्ष्य -

- योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा कुल लागत में ७५ : २५ का प्राविधान किया गया है, जिसमें भारत सरकार का ७५ प्रतिशत एवं राज्य सरकार का २५ प्रतिशत अंश होगा।
- भारत सरकार द्वारा प्रथम चरण में उत्तर प्रदेश के २६ जनपदों का चयन किया गया है, जहाँ पूर्व मं सतत शिक्षा कार्यक्रम संचालित थे।
- योजनान्तर्गत कार्यक्रम विवरण निम्नवत् हैः-

क्रम	कार्यक्रम	वित्तीय मानक
१.	बेसिक लिटरेसी	रु. २३०.०० प्रति लर्नर
(i)	पुराने केन्द्र नवीन केन्द्र	१. पुराने केन्द्रों हेतु रु. २५००० अनावर्ती व्यय, रु. ७५००० आवर्ती व्यय २. नये केन्द्रों हेतु हेतु रु. ६०००० अनावर्ती व्यय, रु. ७५००० आवर्ती व्यय
(ii)	(सर्वे, मास मोबलाइजेशन) प्रेरक प्रशिक्षण सतत शिक्षा केन्द्र विकासखण्ड/ जनपद स्तर पर समन्वयक के प्रशिक्षण हेतु	रु. २५००.०० प्रति ग्राम पंचायत रु. १०००.०० प्रति सतत शिक्षा केन्द्र (दो प्रेरकों हेतु) प्रत्येक विकास खण्ड पर एक एवं जनपद स्तर पर ४ समन्वयक के प्रशिक्षण हेतु रु. १०००.०० प्रति व्यक्ति
(iii)	प्रबन्धन, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन (एम.एम.ई.)	१. संविदा के आधार पर प्रति विकास खण्ड एक समन्वयक रु. ६०००.०० प्रतिमाह २. विकासखण्ड स्तरीय कार्यालय व्यय हेतु रु. ५०००.०० प्रतिमाह ३. प्रति जनपद चार समन्वयक रु. ६०००.०० प्रतिमाह ४. जनपद स्तरीय कार्यालय व्यय हेतु रु. २००००.०० प्रतिमाह